न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2020(2020/00222)

उनवान

1. श्रीमती सीताकंवर पत्नि श्रवण सिंह पुत्रवधु रणजीत सिंह
2. भरत सिंह पुत्र श्रवण सिंह पौत्र रणजीत सिंह
3. नेपाल सिंह पुत्र श्रवण सिंह पौत्र रणजीत सिंह
4. नीतेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह पौत्र रणजीत सिंह
5. गोपाल सिंह पुत्र श्रवण सिंह पौत्र रणजीत सिंह
6. सज्जना कंवर पुत्री श्रवण सिंह पोत्री रणजीत सिंह
7. रिंकू कंवर पुत्री श्रवण सिह पोत्री रणजीत सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचियावास उप तहसील अरडका तहसील व जिला अजमेर

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र भैरूलाल
2. रतन पुत्र भैरूलाल
3. मोहन पुत्र भैरूलाल
4. गिरधारी पुत्र भैरूलाल
5. राधाकिशन पुत्र भैरूलाल
6. सरोज पुत्री भैरूलाल समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम चाचियावास उप तहसील अरडका तहसील व जिला अजमेर
7. अजीत अग्रवाल पुत्र भगवानदास अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 50 शंकर मार्ग किश्चयनगंज अजमेर
8. राजस्थान रकार जरिये तहसीलदार अजमेर तहसील व जिला अजमेर

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड — अभिभाषक प्रार्थीयागण
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी — अभिभाषक अप्रार्थी सं 7
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक – 20.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चाचियावास से छातडी कदीमी रास्ते पर मूल साबिक खसरा संख्या 1217 रकबा 24–12–10 बीघा भूमि जिसके गत चौसाला नम्बर 1492 रकबा 17–17–10 बीघा एवं 1493 रकबा 06–15–00 बीघा बने जिनके मीन नम्बर खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 1.89 है0 हाल नम्बर 1974, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 0.61 है0 हाल नम्बर 1974, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 0.61 है0 हाल नम्बर 1970/2696, खसरा संख्या 1492 मीन

रकबा 0.08 है0 हाल नम्बर 1974/2694, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 1.00 है0 हाल नंबर 1972 एवं 1493 मीन रकबा 0.52 है0 हाल नम्बर 1971/2697 स्थित है। साबिक खसरा संख्या 1217 रकबा 24-12-10 बीघा में से 12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री रणजीत सिंह पुत्र अन्न सिंह को अलॉटमेट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर परपस रूल्स 1957 के तहत दिनांक 06.07.1964 को स्थाई आवंटन कि गई जिस पर प्रार्थीगण अपने दादा के समय से काबिज काश्त होकर आज तक निरन्तर है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण के दादा निरक्षर होने विधि का उन्हें ज्ञान नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या एक मोतीलाल पुत्र नाथूराम एवं भैरूलाल पुत्र नाथूराम द्वारा भी वास्ते काश्त हेतु भूमि आवंटन करने बाबत आवेदन पेश किया गया जो साबिक नम्बर 324 में से आवंटन हेतु चाहा गया परन्तु दोनो को साबिक नम्बर 1217 में से कांट छाँट कर 5 बीघा भैरूलाल को एवं 15 बीघा नाथूलाल को कुल 20 बीघा भूमि अस्थाई 10 साला काश्त हेतु आदेश दिनांक 27.05.67 द्वारा पश्चातवर्ती आवंटन कि गई जिसका राजस्व रेकार्ड में तदसमय कोई अंकन नहीं किया गया तथा वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा क्षैत्राधिकार विहीन रूप से जरिये नोट दिनांक 14.11.77 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सीधे अंकन कर खातेदारी में दर्ज किया गया उक्त आवंटन कतई अवैधानिक एवं धारा 132 भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध बाले-बाले प्रार्थीगण के दादा कि जानकारी के बिना कर दिया गया । वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा को आवंटन कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण को जरिये पश्चातवर्ती आवंटन नहीं किया जा सकता है इस कारण पश्चातवर्ती आवंटन आदेश दिनांक 27.05.67 स्वत अवैध एवं शून्य होकर प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण के दादा को हुए 12 बीघा भूमि के आवंटन के बाद मात्र 12-12-10 बीघा ही शेष रहती है तो 20 बीघा का आवंटन संभव नहीं है इस प्रकार उक्त पश्चातवर्ती आवंटन कैम्प में आवंटन नियम 5 के विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या एक मोतीलाल पुत्र नाथूराम एवं भैरूलाल पुत्र नाथूराम द्वारा वास्ते काश्त हेतु भूमि आवंटन करने बाबत आवेदन पेश किया गया जो साबिक नम्बर 324 में से आवंटन हेतु चाहा गया परन्तु दोनो को साबिक नम्बर 1217 में से कांट छाँट कर 5 बीघा भैरूलाल को एवं 15 बीघा नाथूलाल को कुल 20 बीघा भूमि आवंटन कर दी गई । अप्रार्थी संख्या एक मोतीलाल पुत्र नाथूराम एवं भैरूलाल पुत्र नाथूराम को अस्थाई 10 साला काश्त हेतु पश्चातवर्ती अस्थाई आवंटन कि गई जिसका राजस्व रेकार्ड में तत्समय कोई अंकन नहीं किया गया इस प्रकार उक्त आवंटन अस्थाई आवंटन होकर स्वतः प्रभावहीन हो गया फिर भी वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में जरिये नोट दिनांक 14.11.77 को बिना किसी सक्षम न्यायिक आदेश के बंदोबस्त विभाग द्वारा फर्जी अंकन कर सीधे खातेदारी में दर्ज किया गया जो अवैध इंद्राज है। आवंटी सदभाविक काश्तकार नहीं है उसका मुख्य आय का स्त्रोत काश्तकारी पेशा नहीं है न ही वह कृषि मजदूर है अपितु वह होटल का व्यवसाय करता है तथा वर्ष में 12 माह लगातार होटल का कार्य ही करता है। इस कारण वह किसी भी प्रकार से 1957 एवं उसके बाद बने 1970 के आवंटन नियमों के नियम 2 III (बी) में दी गई परिभाषा के अनुसार भूमिहीन कृषक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चाचियावास के साबिक खसरा संख्या 1217 में से रकबा 05 बीघा का अप्रार्थी मोतीलाल को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.05.67 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण के पक्ष में

किये गये पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1964 कि पालना में राजस्व रेकार्ड में रकबा 12 बीघा खातेदारी में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से मदनपुरी गोस्वामी उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम चाचियावास से छातडी कदीमी रास्ते पर मूल साबिक खसरा संख्या 1217 रकबा 24–12–10 बीघा भूमि जिसके गत चौसाला नम्बर 1492 रकबा 17–17–10 बीघा एवं 1493 रकबा 06–15–00 बीघा बने जिनके मीन नम्बर खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 1.89 है0 हाल नम्बर 1974, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 0.61 है0 हाल नम्बर 1974, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 0.61 है0 हाल नम्बर 1970/2696, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 0.08 है0 हाल नम्बर 1974/2694, खसरा संख्या 1492 मीन रकबा 1.00 है0 हाल नंबर 1972 एवं 1493 मीन रकबा 0.52 है0 हाल नम्बर 1971/2697 स्थित है। साबिक खसरा संख्या 1217 रकबा 24–12–10 बीघा में से 12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री रणजीत सिंह पुत्र अन्न सिंह को अलॉटमेट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर परपस रूल्स 1957 के तहत दिनांक 06.07.1964 को स्थाई आवंटन कि गई जिस पर प्रार्थीगण अपने दादा के समय से काबिज काश्त होकर आज तक निरन्तर है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण के दादा निरक्षर होने विधि का उन्हें ज्ञान नहीं रहा तथा कब्जा काश्त निर्बाध आज तक होने के कारण उनके द्वारा कोई कार्यवाही इस बाबत नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या एक मोतीलाल पुत्र नाथूराम एवं भैरूलाल पुत्र नाथूराम द्वारा भी वास्ते काश्त हेतु भूमि आवंटन करने बाबत आवेदन पेश किया गया जो साबिक नम्बर 324 में से आवंटन हेतु चाहा गया परन्तु दोनो को साबिक नम्बर 1217 में से कांट छाँट कर 5 बीघा भैरूलाल को एवं 15 बीघा नाथूलाल को कुल 20 बीघा भूमि अस्थाई 10 साला काश्त हेतु आदेश दिनांक 27.05.67 द्वारा पश्चातवर्ती आवंटन कि गई जिसका राजस्व रेकार्ड में तदसमय कोई अंकन नहीं किया गया तथा वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा क्षैत्राधिकार विहीन रूप से जरिये नोट दिनांक 14.11.77 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सीधे अंकन कर खातेदारी में दर्ज किया गया उक्त आवंटन कतई अवैधानिक एवं धारा 132 भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध बाले–बाले प्रार्थीगण के दादा कि जानकारी के बिना कर दिया गया । वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा को आवंटन कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण को जरिये पश्चातवर्ती आवंटन नहीं किया जा सकता है इस कारण पश्चातवर्ती आवंटन आदेश दिनांक 27.05.67 स्वत अवैध एवं शून्य होकर प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण के दादा को हुए 12 बीघा भूमि के आवंटन के बाद मात्र 12–12–10 बीघा ही शेष रहती है तो 20 बीघा का आवंटन संभव नहीं है इस प्रकार उक्त पश्चातवर्ती आवंटन कैम्प में आवंटन नियम 5 के विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या एक मोतीलाल पुत्र नाथूराम एवं भैरूलाल पुत्र नाथूराम द्वारा वास्ते काश्त हेतु भूमि आवंटन करने बाबत आवेदन पेश किया गया जो साबिक नम्बर 324 में से आवंटन हेतु चाहा गया परन्तु दोनो को साबिक नम्बर 1217 में से कांट छाँट कर 5 बीघा भैरूलाल को एवं 15

बीघा नाथूलाल को कुल 20 बीघा भूमि आवंटन कर दी गई । अप्रार्थी संख्या एक मोतीलाल पुत्र नाथूराम एवं भैरूलाल पुत्र नाथूराम को अस्थाई 10 साला काश्त हेतु पश्चातवर्ती अस्थाई आवंटन कि गई जिसका राजस्व रेकार्ड में तत्समय कोई अंकन नहीं किया गया इस प्रकार उक्त आवंटन अस्थाई आवंटन होकर स्वतः प्रभावहीन हो गया फिर भी वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में जरिये नोट दिनांक 14.11.77 को बिना किसी सक्षम न्यायिक आदेश के बंदोबस्त विभाग द्वारा फर्जी अंकन कर सीधे खातेदारी में दर्ज किया गया जो अवैध इंद्राज है। आवंटी सदभाविक काश्तकार नहीं है उसका मुख्य आय का स्त्रोत काश्तकारी पेशा नहीं है न ही वह कृषि मजदूर है अपितु वह होटल का व्यवसाय करता है तथा वर्ष में 12 माह लगातार होटल का कार्य ही करता है। इस कारण वह किसी भी प्रकार से 1957 एवं उसके बाद बने 1970 के आवंटन नियमों के नियम 2 III (बी) में दी गई परिभाषा के अनुसार भूमिहीन कृषक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चाचियावास के साबिक खसरा संख्या 1217 में से रकबा 05 बीघा का अप्रार्थी मोतीलाल को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.05.67 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण के पक्ष में किये गये पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1964 कि पालना में राजस्व रेकार्ड में रकबा 12 बीघा खातेदारी में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

जवाब में अप्रार्थी संख्या 7 अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज भैरूलाल पुत्र नाथूराम को पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 27.05.1967 को किया गया स्वतः अवैध एवं शून्य होना अस्वीकार है, क्योंकि प्रार्थीगण के दादा को आवंटन पूर्व में कभी हुआ ही नहीं। जो तथाकथित पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1964 प्रार्थीगण द्वारा बताया जा रहा है उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में ना तो कही अंकन है ना ही उक्त आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कही भी गैर खातेदारी का अंकन दर्ज है तथा ना ही प्रार्थीगण एवं उनके दादा रणजीत सिंह पुत्र अन्नसिंह का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त होने बाबत खसरा गिरदावरियों में अंकन है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1964 बताया जा रहा है वह पूर्ण रूप से अविधिक है जिसके आधार पर ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार के हक, अधिकार प्राप्त होते है, ना ही प्रार्थीगण उक्त तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1964 के आधार पर किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अविधिक एवं मिथ्या कथनों पर आधारित प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1967 को कतई निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज भैरू पुत्र नाथूराम के पक्ष में आवंटित आदेश दिनांक 27.05.1967 निरस्त करवाने की कूटरचित सोच के साथ प्रस्तुत किया गया जबकि प्रार्थीगण के दादा को जो तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1964 किया गया है उसका ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज है तथा ना ही भैरू पुत्र नाथूलाल के पक्ष में किये गए आवंटन की दिनांक 27.05.1967 को प्रार्थीगण के दादा का कब्जा काश्त रहा है बल्कि तत्समय पटवारी श्री सूरजमल ग्राम चाचियावास की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1217 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि किसी के कब्जे में नहीं होने, चरागाह व आबादी नहीं होने तथा प्रार्थी भैरू पुत्र नाथू की काश्त होने से आवंटन किए जाने योग्य थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर भैरू पुत्र नाथू को दिनांक 27.05.1967 को आवंटन की गयी जिसकी अमल

दरामदी राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 14.11.1977 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1492 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी बने कि जिसको भैरू, मोती पुत्रगण नाथू खटीक के नाम खातेदारी दर्ज की गई। उक्त आवंटन का अंकन खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 से 2028 के कॉलम संख्या 41 में भी दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 के कॉलम संख्या 41 में खातेदारी का अंकन भी दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी भैरू व मोती पुत्रगण नाथू खटीक को आवंटनशुदा खातेदारी काश्तकारी की आराजी थी जो आर.एस.मलूका को बेचान कर दी गई जिसका अंकन वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नोट नामांतरकण संख्या 387 दिनांक 21.07.2007 व नामांतरकरण संख्या 478 दिनांक 05.09.2007 से स्पष्ट है तत्पश्चात सुनील मलुका द्वारा उक्त भूमि संपरिवर्तन करवा ली गई जो संलग्न संपरिवर्तन आदेश दिनांक 16.11.2011 से स्पष्ट है जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 23 दिनांक 25.11.2011 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सुनील मलुका के नाम पर दर्ज कर दिया गया तत्पश्चात सुनील मलुका द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान कर दी गई उक्त बेचान के आधार पर नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 04.06.2012 को केता अजीत अग्रवाल के नाम तस्दीक कर रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 में दर्ज नोट से सिद्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

राजकीय पेरोकार ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बहस जारी रखते हुए राजकीय अभिभाषक ने अन्त में आवंटन सलाहकार समिति. द्वारा मजमें आम में किये आवंटन/नियमन को विधिवत् बताते हुए प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने दादा श्री रणजीत सिह पुत्र अन्ना सिह को दिनांक 06.07.1964 को जो आवंटन किया गया उक्त आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कहीं भी दर्ज होना पाया नहीं गया ना ही उक्त व्यक्ति का कब्जे काश्त बाबत इन्द्राज दर्ज है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण/पूर्वज का वादग्रस्त पर कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण/पूर्वज द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जबकी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है की वादग्रस्त भूमि दिनांक 27.05.1967 को भैरू पुत्र नाथूलाल को आवंटित की गई तथा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू अलोटमेंन्ट लेण्ड फोर एग्रीकलचर परपज नियम 1957 के अनुसार आवंटन शुद्वा आराजीयात बाबत आवंटी को पहले गेर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान है तत्पश्चात निश्चित नियमों के पालना करने तथा समयावधि के उपरान्त विधि अनुसार कब्जे उपरांत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है तथा विवादित आराजियात बाबत आवंटी को विधि अनुसार गैर खातेदारी अधिकार तत्पश्चत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गए तत्पश्चात आवंटी/खातेदार द्वारा विधि अनुसार उक्त आराजियात का बेचान किया है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजो से स्वयं सिद्ध है इस प्रकार से विवादित आराजियात वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज है तथा विवादित आराजियात का कृषि आराजियात से आवासीय आराजियात हेतु संपरिवर्तन हो चुका है इस प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 14(4) भू राजस्व अधिनियम में उल्लेखित कथनों बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रश्नगत भूमि बाबत किये गये आवंटन/नियमन में किसी प्रकार से विधि विरूद्ध तथ्य नहीं पाया जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर